न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1144/2024

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति धानक निवासी हजीरा तहसील सिरसा जिला सिरसा।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 27/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 299/297 के ख0न0 577/2 की कुल 2.74440 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हे।

उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र रामजीलाल दर्ज है। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम प्रकाश पुत्र रामजीलाल के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल दर्ज करवाना चाहता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को ज़रिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र रामजीलाल दर्ज है। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम प्रकाश पुत्र रामजीलाल के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल दर्ज करवाना चाहता हैं। वाद वादी डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:55:07 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 299/297 के ख0न0 577/2 की कुल 2.74440 हैक्ट भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी का नाम प्रकाश पुत्र रामजीलाल दर्ज है वादी अपना नाम प्रकाश पुत्र रामजीलाल के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल दर्ज करवाना चाहता है जो की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड में अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 299/297 के ख0न0 577/2 की कुल 2.74440 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी का नाम प्रकाश पुत्र रामजीलाल के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल के अंकन की घोषणा की जाती है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/10/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:55:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1144 / 2024

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति धानक निवासी हजीरा तहसील सिरसा जिला सिरसा।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1114 सन 2024 निर्णय दिनांक 27/10/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 299 / 297 के ख0न0 577 / 2 की कुल 2.74440 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी का नाम प्रकाश पुत्र रामजीलाल के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल के अंकन की घोषणा की जाती है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा बाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक......27/10/25......को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:55:07 IST
Reason: SelfAttested